न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2018 | दायर दिनांक 31.01.2018 | निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

1. भंवर लाल पुत्र मीठू दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र मीठू दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गोवर्धन पुत्र मीठू दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

गेहरू लाल पुत्र रामा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रतन आत्मज छोगा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

रतन आत्मज छोगा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

लादू आत्मज उदा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

किशन आत्मज उदा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

मीठू पुत्र सुखदेव दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

ीरा लाल पुत्र नारायण सैन आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

तन पुत्र सोहन लाल सैन जाति सैन आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला ीलवाड़ा

गदीश पुत्र सोहन सैन आयु वयस्क निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

–विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी विकास लढ़ा, रामेश्वरलाल जाट

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र
त धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
बांसड़ा प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की
न्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 114 की अभिलिखित आराजियात 704, 705,
कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे
की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की
जियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः
ण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर
सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को
नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी
क्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की
आ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है
र्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन
। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का
कन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात
स के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन
गढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में
। भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र
त धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि
बांसड़ा प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की
न्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 114 की अभिलिखित आराजियात 704, 705,
कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व
क़ेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में
नात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की
वाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी
हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर
ांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क
मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया
कर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा
मेशनरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाड निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा